क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1994	1995	माह तक
8.	हिमाचल प्रदेश	5	6	सितम्बर
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	मार्च
10.	कर्नाटक	1	2	सितम्बर
11.	केरल	3	3	सितम्बर
12.	मध्य प्रदेश	3	1	जुलाई
13.	महाराष्ट्र	5	9	अक्तूबर
14.	मणिपुर	0	0	अक्तूबर
15.	मेघालय	0	0	जुलाई
16.	मिज़ोरम	0	0	अक्तूबर
17.	नागालैण्ड	0	0	अक्तूबर
18.	उड़ीसा	0	0	जून
19.	पंजाब	0	0	अगस्त
20.	राजस्थान	3	3	सितम्बर
21.	सिक्किम	0	0	सितम्बर
22.	तमिलनाडु	0	0	सितम्बर
23.	त्रिपुरा	0	0	सितम्बर
24.	उत्तर प्रदेश	1	0	सितम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	मई
	कुल राज्य	53	36	
	संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	
2.	चण्डीगढ़	0	0	
3.	दादर और नागर हवेली	0	0	
4.	दमन और दीयू	0	0	
5.	दिल्ली	0	0	
6.	लक्षद्वीप	0	0	
7.	पाण्डिचेरी	0	0	
		0	0	
	समस्त भारत	53	36	

Evaluation of Educational Technology Scheme

2693. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether National Institute of Educational Planning and administration has undertaken the evaluation of the educational technology scheme; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government on the recommendations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION) (DR. KRUPASINDHU BHOI): (a) The National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA) had undertaken an evaluation study on the aspect of media utilisation under the Educational Technology Scheme.

(b) Pursuant to the examination of the aforesaid study recommendations, an impact study was got conducted by an external agency, under the supervision of Central Institute of Educational Technology (CIET). The recommendations made by NIEPA as well as the findings of the subsequent impact study have since been circulated to the State/Union Territory administrations, for taking follow up action.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार

2694. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों और महिलाओं पर उत्पीड़न और अत्याचार की कितनी घटनाएं घटी;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी घटनाओं की तुलना में यह संख्या अधिक है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को

रोकने हेतु कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तथा पश्चिम बंगाल में 1991, 1992, 1993 तथा 1994 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर किए गए अपराधों की घटनाएं नीचे दी गई हैं:—

क्र सं॰	राज्य	1991			1992			1993			1991 से 1993 तक कुल	औसत प्रतिवर्ष	1994		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	मध्य प्रदेश	5412	2568	7980	4571	1957	6528	3690	1501	5191	19699	6566	3745	1774	5519
2.	बिहार	558	63	621	751	275	1026	721	106	827	2474	824	789	103	892
3.	उड़ीसा	240	68	308	220	32	252	213	55	268	828	276	497	183	680
4.	पश्चिम बंगाल	02	03	05	05	02	07	07	07	14	26	8	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं

स्रोत:— राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय। पुरुष तथा महिलाओं के लिए अलग आंकड़े नहीं रखे गए हैं।

प्रा॰न॰: प्राप्त नहीं।

उपर्युक्त आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि अत्याचार की घटनाओं में बिहार तथा उड़ीसा राज्य में 1991-1993 की तुलना में 1994 में वृद्धि हुई है लेकिन मध्य प्रदेश में इसमें कमी आई है। पश्चिम बंगाल के लिए 1994 हेतु तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, 1991(5), 1992(7) तथा 1993 (4) में प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदम

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का कार्यान्वयन

इस अधिनियम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार करने वालों को कड़ा दण्ड देने की व्यवस्था है। धारा 21 (1) में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार ऐसे उपाय करेगी जो इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।

(2) निवारणात्मक तथा एहतियाती उपाय

(क) गृह मंत्री द्वारा जारी दिशानिर्देश

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार निवारण के लिए विभिन्न एहतियाती, निवारणात्मक, पुनर्वास तथा कार्मिक नीति सम्बन्धी उपायों का सुझाव देते हुए गृह मंत्री के दिनांक 10 मार्च, 1980 तथा 6 सितम्बर, 1980 के अ॰ जा॰ पत्रों के अनुसार विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। 1980 में जारी किए गए दिशानिर्देश गृह मंत्री के दिनांक 15 अप्रैल, 1985 के अ॰ शा॰ पत्र के अनुसार 1985 में पुनः जारी किए गए।

(ख) प्रधान मंत्री का मुख्य मंत्रियों को निर्देश

प्रधान मंत्री ने अपने 19 जून, 1990 के पत्र द्वारा सभी मुख्य मंत्रियों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया है। प्रधान मंत्री ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने के लिए प्रभावी उपायों पर विचार करने हेतु अक्तूबर, 1991 के प्रथम सप्ताह में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन भी बुलाया।

(ग) कल्याण मंत्री की राज्य के कल्याण मंत्रियों से अपील

कल्याण मंत्री द्वारा वर्ष 1992 में तिरुवनंतपुरम्, बम्बई और दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का एक क्षेत्रीय सम्मेलन और 6-7 अप्रैल, 1995 को बंगलौर में अनुसूचित

जातियों के कल्याण और विकास के प्रभारी राज्य मंत्रियों का एक सम्मेलन अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया गया था।

(3) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण), नियमावली, 1995

अनुसचित जातियां और अनुसचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 को भारत के राजपत्र में दिनांक 31.3.1995 को अधिसूचित किया गया है। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ अत्याचार पीड़ितों को राहत और पुनर्वास की बढ़े हुए मानदण्डों की व्यवस्था है। सुरक्षात्मक और निवारणात्मक उपायों का प्रबन्ध, शीघ्र जांच एवं अभियोजन की व्यवस्था करने के लिए भी राहत सम्बन्धी भुगतान की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित रूप दिया गया है।

(4) अनन्य विशेष न्यायालय

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड और मिजोरम को छोड़कर) द्वारा सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट करने के अलावा आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों ने मामलों का शीघ्र परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्रमशः 3, 10 और 16 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं।

(5) विशेष सैल

अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक/उप पुलिस महानिरीक्षक रैंक के अधिकारियों वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष सैलों की स्थापना की गई है।

(6) मंत्री द्वारा घटना स्थल का दौरा

बिहार के भोजपुर जिले के सरथुआ गांव में जमींदारों द्वारा 6 अनुसूचित जाति व्यक्तियों की हत्या के बारे में 27.7.95 को समाचार सुनने पर, कल्याण मंत्री 28 जुलाई, 1995 को स्वयं घटना स्थल पर गए। इसी प्रकार, कल्याण मंत्री ने अत्याचारों से मारे गए छः अनुसूचित जाति व्यक्तियों के परिवारों को सान्त्वना देने के लिए सिवान का भी दौरा किया। बिहार राज्य सरकार को इन घटनाओं से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत का प्रबन्ध करने के लिए केन्द्रीय सहायता के एक भाग के रूप में 25.00 लाख रुपए की धनराशि तदर्थ आधार पर प्रदान की गई।

एक अन्य मामले में, जहां तमिलनाडु के सेलम जिले के कट्टी जाने का कट्टी गांव में एक दलित लड़की को अंधा बना दिया गया था, कल्याण राज्य मंत्री उस लड़की को देखने मद्रास अस्पताल गए। उन्होंने उस लड़की को 5,000/- रुपए का व्यक्तिगत अंशदान दिया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उस लड़की की नेत्र ज्योति वापस आए।

(घ) और (ङ) जब कभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचारों के मामले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग के ध्यान में आते हैं, तो प्रभावित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन से तथ्यपरक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए, अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराएं लगाने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

National Land use and Conservation Board

2695. SHRIMATI MALTI SHARMA:
SHRI RAJ NATH SINGH:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the National Land Use and Conservation Board has prepared nation wide maps on the land degradation;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether any study has been conducted with the help of these maps to identify the causative factors effecting the degradation of soil; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.